भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४

(१८९४ का अधिनियम संख्याक १)

(१ नवम्बर, १९८२ को यथाविद्यमान)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, गन्तोक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-११००५४ द्वारा प्रकाशित।

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह १ मार्च १९७४ को यथाविद्यमान भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ का द्वितीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ , उसके अंग्रेजी सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख ५ जनवरी, १९६६ के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग २, अनुभाग १ क, संख्या १, खण्ड ii में पृष्ठ ९ से २९ में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ का राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ५ (१) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्लीः
१ मार्च, १९७४

के० के० सुन्दर्म,
सचिव, भारत सरकार।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का अधिनियम संख्यांक १) के प्रथम द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में १ जूलाई, १९७८ तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्लीः
१ जूलाई, १९७८

शंकर हरिहर अय्यर
सचिव, भारत सरकार।

पुनः मुद्रित १ नवम्बर, १९८२

संशोधन अधिनियमों और अनूकूलन आदेशों की सूची

१. भारतीय विद्युत अधिनियम, १९१० (१९१० का ९)।

२. द डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऐक्ट, १९१४ (१९१४ का ४)।

३. निरसन और संशोधन अधिनियम. १९१४ (१९१४ का १०)

४. भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, १९१९ (१९१९ का १७)।

५. द डिवोल्यूशन ऐक्ट, १९२० (१९२० का ३८)।

६. भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, १९२१ (१९२१ का १९)।

७. भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, १९२३ (१९२३ का ३८)।

८. भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, १९३३ (१९३३ का १६)।

९. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, १९३७।

१०. निरसन अधिनियम, १९३८ (१९३८ का १)।

११. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, १९४८।

१२. विधि अनुकूलन आदेश, १९५०।

१३. विधि अनुकूलन (सं० २) आदेश, १९५६।

१४. भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम. १९६२ (१९६२ का ३१)।

१५. भूमि अर्जन (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, १९६७ (१९६७ १३)।

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४

....

धाराओं का क्रम

....

उद्देशिका

धाराएं पृष्ठ

भाग १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ १

२. (निरसित।) २

३. परिभाषाएं २

भाग २

अर्जन

प्रारम्भिक अन्वेषण

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन और ऐसा होने पर आफिसरों की शक्तियां ३

५. नुकसान के लिए संदाय ४

आक्षेप

५ क. आक्षेपों की सुनवाई ४

आशयित अर्जन की घोषणा

६. इस बात की घोषणा कि भूमि लोक प्रायोजन के लिए अपेक्षित है ५

७. कलक्टर घोषणा के पश्चात् अर्जन की कार्यवाही करेगा ५

८. उस भूमि का चिह्न, मापन और रेखांकन किया जाएगा ५

९. हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना ५

१०. नामों और हितों के संबंध में कथन अपेक्षित और प्रवर्तित करने की शक्ति ६

कलक्टर द्वारा मापों, मूल्य और दावों की जांच और अधिनिर्णय

११. कलक्टर द्वारा, जांच और अधिनिर्णय ६

१२. कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा ७

१३. जांच का स्थगन ७

१४. साक्षियों को समन करने और उनकी हाजिरी और दस्तावेजो की पेशी प्रवर्तित करने की शक्ति ७

१५. वे बातें, जिन पर ध्यान दिया जाएगा और जिनकी उपेक्षा की जाएगी ७

कब्जा करना

१६. कब्जा करने की शक्ति ७
१७. आत्ययिकता की दशाओं में विशेष शक्तियां ७

धाराएं पृष्ठ

भाग ३

न्यायालय को निर्देश और तदुपरि प्रक्रिया

१८. न्यायालय को निर्देश ८
१९. न्यायालय के लिए कलक्टर का कथन ८
२०. सूचना की तामील ९
२१. कार्यवाहियों के प्रविषय पर निर्बन्धन ९
२२. कार्यवाहियां खुले न्यायालय में होगी ९
२३. प्रतिकर अवधारित करने में विचार में ली जान वाली बातें ९
२४. वे बातें जिनकी प्रतिकर अवधारित करने में उपेक्षा की जाएगी १०
२५. प्रतिकर की रकम की बाबत नियम १०
२६. अधिनिर्णयों का प्ररूप १०
२७. खर्चे १०
२८. अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज देने का निर्देश कलक्टर को दिया जा सकेगा ११

भाग ४

प्रतिकर का प्रभाजन

२९. प्रभाजन की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी ११
३०. प्रभाजन संबंधी विवाद ११

भाग ५

संदाय

३१. प्रतिकर का संदाय या उसका न्यायालय में निक्षेप ११
३२. अन्य-संक्रमण करने के लिए अक्षम व्यक्तियों की भूमियों लेखे निक्षिप्त धन का विनिधान १२
३३. अन्य मामलों में निक्षिप्त धन का विनिधान १२
३४. ब्याज का संदाय १३

भाग ६

भूमि का अस्थायी अधिभोग

३५. बंजर या कृष्यभूमि का अस्थायी अधिभोग। जब कि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है तब प्रक्रिया १३

३६. प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर १३

३७. भूमि की दशा के संबंध में मतभेद १३

भाग ७

कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन

३८. कम्पनी प्रवेश और सर्वेक्षण करने के लिए प्राधिकृत की जा सकेगी १४

३८क. औद्योगिक समुत्थान की बाबत कुछ प्रयोजनों के लिए या समझा जाना कि वह कम्पनी है। १४

३९. समुचित सरकार की पूर्व सम्पत्ति की और करार के निष्पादन की आवश्यकता १४

४०. पूर्ववर्ती जांच १४

४१. समुचित सरकार के साथ करार १५

४२. करार का प्रकाशन १५

४३. धारा ३९ से लेकर धारा ४२ तक की धाराएं वहां लागू नहीं होंगी जहां कि सरकार कम्पनियों को भूमि देने के लिए करार से आबद्ध है १६

धाराएं पृष्ठ

४४. रेल कम्पनी के साथ का करार कैसे साबित किया जा सकेगा १६

४४क. अन्तरण आदि पर निर्बन्धन १६

४४ख. सरकारी कामपनियों से भिन्न प्राइवेट कम्पनियों के लिए इस भाग के अधीन भूमि का अर्जन प्रयोजन विशेष के लिए किए जाने के सिवाय न किया जाना १६

भाग ८

प्रकीर्ण

४५. सूचनाओं की तामील १६

४६. भूमि के अर्जन में बाधा डालने के लिए शान्ति १७

४७. मजिस्ट्रेट अभ्यर्पण प्रवर्तित कराएगा १७

४८. अर्जन पूरा करना अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि अर्जन पूरा न भी किया जाए तो भी प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाएगा १७

४९. गृह या निर्माण के एक भाग का अर्जन १७

५०. किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी के खर्चे पर भूमि का अर्जन १८

५१. स्टाम्प शुल्क या फीस से छूट १८

५२. अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना १८

५३. न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाही को कोड आफ सिविल प्रोसीजर का लागू होना १८

५४. न्यायालय में हुई कार्यवाहियों में अपीलें १८

५५. नियम बनाने की शक्ति १९.

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४

(१८९४ का अधिनियम संख्यांक १)

(२ फरवरी १८९४)

लोक प्रयोजनों के लिए और कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन
करने के लिए विधि का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि लोक प्रयोजनों के लिए और कम्पनियों के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन करने के लिए और ऐसे अर्जन लेखे दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए विधि का संशोधन किया जाए; अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः-

भाग १

प्रारम्भिक

१. (१) यह अधिनियम भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ कहा जा सकेगा।

(२) इसका विस्तार (उन राज्यक्षेत्रों के) सिवाय (जो १ नबम्बर, १९५६ के अव्यवहित पर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे,) सम्पूर्ण भारत पर है; तथा

(३) यह सन् १८९४ के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

१. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी). १८९२ भाग ५, पृष्ठ ३२; प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रजी), १८९४, भाग ५, पृष्ठ २३; और विधान परिषद् की कार्यवाहियों के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), १८९२, भाग ६, गृष्ठ २५ और बारत का राजपत्र (अंग्रेजी), १८९४, पृष्ठ १९, तथा पृष्ठ २४ से ४२ ।

इस अधिनियम को निम्नलिखित क्षेत्रों मे प्रवृत घोषित किया गया हैः-

(१) संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, (१८७२ का ३) की धारा ३ द्वारा संथाल परगना मे;

(२) खोण्डमल विधि विनियम, १९३६ (१९३६ का ४) की धारा ३ तथा अनुसूची द्वारा खोण्डमल जिले में; तथा

(३) आंगुल विधि विनियम. १९३६ (१९३६ का ५) की धारा ३ तथा अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में।

शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्टस् ऐक्ट १८७४ (१८७४ का १४) के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त घोषित किया गया हैः-

(१) हजारीबाग लोहारदागा जिले में (अब रांची जिला कहा जाता है - देखिए कबकत्ता राजपत्र (अंग्रेजी), १८९९, भाग १, पृष्ठ ४४) और मानभूम, और परगना मालभूम तथा सिंघभूम जिले में कोला ह्न – देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), १८९४, भाग १, पृष्ठ ४००; तथा (२) पलामू जिले में - देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), १८९४ भाग १, पृष्ठ ६३९।

इस अधिनियम का विस्तार १९५८ के मध्य प्रदेश के ऐक्ट सं० २३ द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, १९६०

के विनियमन सं० ३ की धारा ३ तथा अनुसूची द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र पर; १९६३ के विनियम सं० ६ की धारा २ तथा अनुसूची १ द्वारा दादरा तथा नागर हवेली पर; १९६३ के विनियम सं० ७ की धारा ३ तथा अनुसूची १ द्वारा पाण्डिचेरी पर; और १९६३ के विनियम सं० ११ की धारा ३ तथा अनुसूची द्वारा गोआ, दमन और दीव पर; तथा १९६५ के विनियम सं० ८ की धारा ३ तथा अनुसूची द्वारा लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी पर, किया गया है।

१९५५ के मैसूर ऐक्ट सं० १४ द्वारा बेलारी जिले में तथा १९५८ के मैसूर ऐक्ट सं० १६ द्वारा मुम्बई क्षेत्र और कोड्गू जिले में लागू होने के संबंध में निरसितष

२. विधि अनुकूलन (सं० २) आदेश, १९५६ द्वारा 'भाग ख राज्यों' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४

२. (निरसन।) निरसन तथा संशोधन अधिनियम, १९१४ (१९१४ का १०) की धारा ३ तथा अनुसूची २ द्वारा अंशतः और निरसन अधिनियम, १९३८ (१९३८ का १) की धारा २ तथा अनुसूची द्वारा अंशतः निरसित।

३. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, -

(क) ''भूमि'' शब्द के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूवद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकडीं हुई चीजें आती है;

(ख) ''हितबद्ध व्यक्ति'' पदावली के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन लेके दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं, और कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा यदि वह भूमि पर प्रभाव डालने वाले सुखाचार में हितबद्ध है;

(ग) ''कलक्टर'' शब्द से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई उपायुक्त और इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए (समुचित करकार) द्वारा विशेषतः नियुक्त कोई औफिसर आता है;

(घ) ''न्यायालय'' शब्द से आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जब तक कि (समुचित कराकर ने इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्यों का पालन करने के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर किसी विशेष न्यायिक आफिसर की नियुक्ति (जिसे करने के लिए वह एतद्द्वारा सशक्त की जाती है) न कर दी हो;

(ङ) ''कम्पनी'' शब्द से इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, १८८२ के अधीन या १८६२ से १८९० तक के (इंग्लिश) कम्पनीज ऐक्टों के अधीन रजिस्ट्रीकृत या (यूनाइटेड किंगडम की) पार्लियामेंट के किसी अधिनियम द्वारा या किसी (भारतीय विधि द्वारा) या रायल चार्टर या लेटर्स पेटन्ट द्वारा निगमित कोई कम्पनी अभिप्रेत है (और इसके अन्तर्गत सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी और सहकारी सोसायटी अधिनियम, १९१२) के (अथवा सहकारी सोसायटियों से संबंधित ऐसे किसी अन्य विधि के, जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत हो,) (अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी आती है);

(ङङ) ''समुचित सरकार'' पदावलि से संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) ''लोक प्रयोजन'' पदावली के अन्तर्गत उन जिलों में ग्राम-आस्थानों का उपबन्ध करना आता है जिनकी बाबत (समुचित सरकार) ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर दिया है कि उनमें ऐसा उपबन्ध करना राज्य सरकार के लिए रूढ़गत बात है; तथा

१. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा ''प्रान्तीय सरकार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. अब कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) देखिए।
३. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा अन्तःस्थापित
४. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, १९३७ द्वारा ''सपरिषद् गवर्नर जनरल का'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
५. १९१९ के अधिनियम सं० १७ की धारा २ द्वारा अंतःस्थापित।
६. १९६२ के अधिनियम सं० ३१ की धारा २ द्वारा १२-९-१९६२ से अंतः स्थापित।

(छ) निम्नलिखित व्यक्तियों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित रीति में और विस्तार तक ''कार्य करने के लिए हकदार'' व्यक्ति हैं (अथार्त्) - अन्य फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्तियों के न्यासियों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे ऐसे किसी मामले की बाबत कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति हैं और उस विस्तार तक हकदार हैं जहां तक कि यदि फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति निर्योग्यता से मुक्त होते तो वे कार्य कर सकते;

विवाहित स्त्री की बाबत उन मामलों में, जिन्हें कि इंग्लिश विधि लागू है यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार कार्य करने के लिए हकदार है और चाहे वह पूर्णवयस की हो या ह हो, उस विस्तार तक हकदार है जहां तक कि यदि वह अविवाहित और पूर्णवयस की होती तो वह हकदार होती; तथा

अप्राप्तवयों के संरक्षकों और पागलों या जड़ों के सुपुर्ददारों या प्रबन्धकों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे क्रमशः ऐसे कार्य करने के लिए हकदार उस विस्तार तक हैं जहां तक कि यदि वे अप्राप्तवय. पागल या जड़ निर्योग्यता से मुक्त होते तो स्वयं कार्य कर सकतेः

(i) किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह ''कार्य करने के लिए हकदार'' है, जिस व्यक्ति के विषय-वस्तु में हित की बाबत कलक्टर या न्यायालय को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि वह उस हितबद्ध व्यक्ति के हित के प्रतिकूल है जिसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार वह अन्यथा होता;

(ii) हितबद्ध व्यक्ति ऐसे हर मामले में वाद-मित्र द्वारा उपसंजात हो सकेगा या वाद-मित्र द्वारा उपसंजाति के अभाव में, यथास्थिति, कलक्टर या न्यायालय मामले के संचालन में उसके निमित्त कार्य करने के लिए उसका वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा;

(iii) कोड आफ सिविल प्रोसीजर के अध्याय ३१[१] के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उन हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन वाली कार्य वाहियों में कलक्टर या न्यायालय के समक्ष वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा उपसंजात होते हैं; तथा

(iv) ''कार्य करने के लिए हकदार'' कोई भी व्यक्ति वह प्रतिकर-धन प्राप्त करने के लिए, जा उस व्यक्ति के संदेय है जिसके लिए वह कार्य करने के लिए हकदार है, तब के सिवाय सक्षम नहीं होगा जबकि वह भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए और स्वैच्छिक विक्रय पर क्रय-धन प्राप्त करने और उसके प्रभावी उन्मोचन देने के लिए सक्षम होता।

भाग २

अर्जन

प्रारम्भिक अन्वेषण

४. (१) जब कभी [२](समुचित सरकार) को यह प्रतीत होता है कि किसी परिक्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए [३](आवश्यकता है या) होनी संभाव्य है तब उस भाव वाली एक अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और कलक्टर ऐसी अधिसूचना के सारांश की लोक सूचना उक्त परिक्षेत्र में के सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवाएगा।

१. अब सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का ५) की अनुसूची १, आदेश ३२ देखिए।

२. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा ''प्रान्तीय सरकार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

३. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा २ द्वारा अंतः स्थापित।

(२) तदुपरि -

ऐसे परिक्षेत्र में की किसी भूमि में प्रवेश करना, उसका सर्वेक्षण करना और उसका तलमापन करना,

अवमृदा के भीतर खोदना या वेधन करना,

यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना,

उस भमि की, जिसे लेने के प्रस्थापना की गई है सीमाएं और यदि वहां कोई संकर्म बनाए जाने की प्रस्थापना है तो उस प्रस्थापित संकर्म की आशयित रेखा लगाना, ऐसे भूतल, ऐसी सीमाएं और रेखा चिन्हित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग का काटना और भूमि का साफ करना,

ऐसी सरकार द्वारा साधारण रूप से या विशेष रूप से तन्निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर के लिए और उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए विधिपूर्ण होगाः

परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम सात दिनि कि लिखित सूचना अधिभोगी को पहले ही दिए बिना किसी निर्माण के भीतर या निवासगृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में प्रवेश तब के सिवाय नहीं करेगा जबकि उसके अधिभोगी की ऐसा करने के लिए अनुग्या हो।

५. वह आफिसर जो ऐसे प्राधिकृत है, पूर्वोक्त जैसे पहुंचाए जाने वाले सारे आवशयक नुकसान के लिए संदाय या संदाय की निविदा ऐसे प्रवेश के समय करेगा और इस प्रकार किए गए या निविदत्त संदाय की रकम

की पर्याप्ता के संवंध में विवाद होने पर वह उस विवाद को तत्क्षण जिले के कलक्टर या अन्य मुख्य राजस्व आफिसर के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

[1][आक्षेप

५ क. (१) ऐसी किसी भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, जिस भूमि के संबंध में धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन यह अधिसूचित किया जा चुका है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी क्मपनी के लिए उसकी आवश्यकता है या होनी संभाव्य है, अधिसूचना निकलने के पश्चात् तीस दिन के अन्दर, यथास्थिति, उस भूमि के या उस परिक्षेत्र में की किसी भूमि के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन हर आक्षेप कलक्टर से लिखित रूप में किया जाएगा और आक्षेपकर्ता को स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर कलक्टर देगा और ऐसे सारे आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अपर जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे [2][या तो उस भूमि की बाबत, जा धारा ४ की उपधारा (१) की अधीन अधिसूचित की गई है, एक रिपोर्ट, या ऐसी भूमि के विभिन्न खंडों की बाबत विभिन्न रिपोर्ट, जिसमें या जिनमें आक्षेपों के संबंध में उसकी सिफारिशें अन्तर्विष्ट होंगी, अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित, समुचित सरकार के विनिश्चय के लिए उसे देगा।] आक्षेपों के संबंध में ३ [समुचित सरकार] का विनिश्चय अंतिम होगा।

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो यदि इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जित हो गई तो प्रतिकर में हित का दावा करने का हक़दार होगा।]

१. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा ३ द्वारा शीर्षक तथा धारा ५ क अंतःस्थापित।
२. १९६७ के अधिनियम सं० १३ की धारा २ द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
३. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा ''प्रान्तीय सरकार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

आशयित अर्जन की घोषणा

६. (१) इस अधिनियम के भाग ७ के उपबन्धों के अध्ययीन यह है कि [1][जब [2][समुचित सरकार] का समाधान धारा ५क की उपधार (२) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, हो जाता है] कि किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए किसी विशिष्ट भूमि की आवश्यकता है तब ऐसी सरकार के किसी सचिव के या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी आफिसर के हस्ताक्षरों के अधीन ऐसे भाव की एक घोषणा की जाएगी [3][और धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन एक ही अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली किसी भूमि के विभिन्न खण्डों की बाबत विभिन्न घोषणाएं समय-समय पर, की जा सकेंगी चाहे धारा ५क की उपधारा (२) के अधीन (जहां भी अपेक्षित हो) एक रिपोर्ट दी

गई हो या विभिन्न रिपार्टें दी गई हों]:

[४][परन्तु भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, १९६७ के प्रारम्भ के पश्चात् प्रकाशित धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन की किसी अधिसूचना के अन्तर्गत आन वाली किसी विशिष्ट भूमि की बाबत कोई घोषणा ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि] ऐसी घोषणा तब तक के सिवाय नहीं की जाएगी जब कि ऐसी संपत्ति के लिए अधिनिर्णीत किया जाने वाला प्रतिकर कम्पनी द्वारा, या पूर्णतः या भागतः लोक राजस्वों में से, या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि में से, संदत्त किया जाना है।

(२) [५][हर घोषणा] शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसमें वह जिला या अन्य प्रादेशिक खंड, जिसमें कि भूमि अवस्थित है, वह प्रयोजन जिसके लिए उस भूमि की आवश्यकता है, उसका लगभग क्षेत्रफल और जहां कि भूमि का कोई रेखांक बनाया गया हो वहां वह स्थान, जहां ऐसे रेखांक का निरिक्षण किया जा सकती है, कथित होगा।

(३) उक्त घोषणा इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस भूमि की, यथास्थिति, लोक प्रयोजन के लिए या कम्पनी के लिए आवश्यकता है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् [२][समुचित सरकार] एतत्पश्चात् दी गई रीति में उस भूमि का अर्जन कर सकेगी।

७. जब कभी किसी भूमि के संबंध में इस प्रकार यह घोषित कर दिया गया हो कि उसकी लोक प्रयोजन के लिए या कम्पनी के लिए आवश्यकता है तब [२][समुचित सरकार] द्वारा तन्निमित्त प्राधिकृत कोई आफिसर कलक्टर को भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाही करने का निदेश देगा।

८. कलक्टर तब उस भूमि का चिन्हन (तब के सिवाय जबकि धारा ४ के अधीन उसका चिन्हन पहले ही हो गया है करवाएगा। वह उसका माप भी करवाएगा और यदि उसका कोई रेखांक नहीं बनाया गया है तो उसका एक रेखांक बनवाएगा।

९. (१) कलक्टर तब उस भूमि पर, जो ली जानी है, या उसके निकट सुविधापूर्ण स्थानों में इस बात का कथन करने वाली लोक सूचना दिलवाएगा कि उस भूमि का क़ब्जा लेने का सरकार का आशय है और ऐसी भूमि में के सारे हितों के लिए प्रतिकर के दावे उससे किए जा सकते हैं।

(२) ऐसी सूचना में उस भूमि की, जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है, विशिष्टियों का कथन होगा और भूमि में सारे हितबद्ध व्यक्तियों से उस द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि

१. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा ४ द्वारा ''जहां कहीं स्थानीय सरकार को प्रतीत होता है'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

२. विधि अनूकूलन आदेश, १९५० द्वारा ''प्रान्तीय सरकार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

३. १९६७ के अधिनियम सं० १३ की धारा ३ द्वारा अंतःस्थापित।

४. १९६७ के अधिनियम सं० १३ की धारा ३ द्वारा ''परन्तु यह कि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

५. १९६७ के अधिनियम सं० १३ की धारा ३ द्वारा ''घोषणा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

वे उसमें वर्णित समय (ऐसा समय सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले पन्द्रह दिन से पूरवतर का न होगा) और स्थान पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा कलक्टर के समक्ष उपसंजात हों और भूमि में के अपने-अपने हितों का स्वरूप और ऐसे हितों के लिए प्रतिकर की रकम और प्रतिकर के अपने दावों की विशिष्टियां और धारा ८ के अधीन किए गए माप पर अपने आक्षेप (यदि कोई हो) कथित करें। कलक्टर किसी मामले में इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा कथन लिखित रूप में किया जाए और पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

(३) कलक्टर ऐसी किसी भूमि के अधिभोगी पर (यदि कोई हो) और जिस राजस्व जिले में भूमि अवस्थित है उसमें निवासी या उनके निमित्त तामिल लेने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखन वाले उन सब व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिए हकदार है, उसी भाव वाली सूचना की तामील कराएगा।

(४) उस दशा मे, जिसमें कि ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति अन्यत्र निवास करता है और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, वह सूचना ऐसे पत्र द्वारा, जो उसके अंतिम ग्यात निवासस्थान, पत्ते या कारबार के स्थान से उसको संबोधित है और [१][इंडियन पोस्ट आफिस ऐक्ट, १८६६ के भाग ३ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, डाक द्वारा उसके पास भेजी जाएगी।

१०. (१) कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह एक कथन, जिस-में सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बन्धकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके किसी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे हर अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित का स्वरूप और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उस लेखे प्राप्त किए गए या प्राप्य भाटक और लाभ (यदि कोई हों) यावत्साध्य अन्तर्विष्ट हैं, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के पन्द्रह दिन से पूर्वतर का न होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे।

(२) हर व्यक्ति, जिससे इस धारा या धारा ९ के अधीन कथन करने की या उसका परिदान करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं १७५ और १७६ के अर्थों में ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

कलक्टर द्वारा मापों, मूल्य और दावों की जांच और अधिनिर्णय

११. ऐसे नियत दिन या किसी भी अन्य दिन, जिसके लिए वह जांच स्थगित कर दी गई है, कलक्टर उन आक्षेपों की (यदि कोई हों), जो धारा के अधीन निकाली गई सूचना के अनुसरण में किसी हितबद्ध व्यक्ति ने धारा ८ के अधीन किए गए मापों की बाबत किए हैं और [२][धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के क्रमिक हितों की जांच करने के लिए अग्रसर होगा और-

(i) भूमि के सही क्षेत्रफल की बाबत;

(ii) उस प्रतिकर की बाबत, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुग्यात किया जाना चाहिए; तथा

(iii) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ग्यात है या विश्वास किया जाता है कि भूमि में हितबद्ध हैं , उन सब व्यक्तियों में से उनमें, जिनके संबंध में या जिनके दावों के संबंध में उसे जानकारी है, भले ही वे उसके सामने उपसंजात हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन की बाबत,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा।

१. अब भारतीय डाक अधिनियम, १८९८ (१८९८ का ६) देखिए।
२. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा ५ द्वारा अंतः स्थापित।

भूमि अर्जन अधिनियम १८९४

१२. (१) ऐसा अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किया जाएगा और एतस्मिन्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य, भले ही वे क्रमशः कलक्टर के समक्ष उपसंजात हुए हों या नहीं, भूमि के सही क्षेत्रफल और मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगा।

(२) कलक्टर अपने अधिनिर्णय की सूचना हितबद्ध व्यक्तियों में से ऐसों को जो उस अधिनिर्णय के दिए जाने के समय स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित नहीं हैं, अविलम्ब देगा।

१३. कलक्टर जांच को ऐसे किसी दिन के लिए, जो उस द्वारा नियत किया जाएगा, समय-समय पर किसी ऐसे हेतुक के लिए स्थगित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझें।

१४. कलक्टर को इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यह शक्ति प्राप्त होगी कि उन्हीं साधनों द्वारा और यथाशक्य उसी रीति में, जो सिविल न्यायालय की दशा में [१][कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर के अधीन उपबन्धित है, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार भी आते हैं या उनमें से किसी को समन कर ले, उनकी हाजिरी प्रवर्तित करा लें, या उन्हें दस्तावेजें पेश करने के लिए विवश करे।

१५. प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में कलक्टर धाराओं २३ और २४ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

कब्जा करना

१६. जबकि कलक्टर ने धारा ११ के अधीन अधिनिर्णय दे दिया हो तब वह भूमि पर कब्जा कर सकेगा जो ऐसा होने पर सब विल्लंगमों से मुक्तकृत [२][[३][सरकार] में आत्यन्तिकतः निहित] हो जाएगी।

१७. (१) आत्ययिकता की दशाओं में जब कभी [४][समुचित सरकार] ऐसा निदेश दे तब यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कलक्टर किसी ऐसी बंजर या कृष्य भूमि पर, जिसकी लोक प्रयोजनों के लिए या किसी कम्पनी के लिए आवश्यकता है कब्जा धारा ९ की उपधारा (१) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकेगा। ऐसा होने पर ऐसी भूमि सब विल्लंगमों से मुक्तकृत [२]][३][सरकार] में आत्यन्तिकतः निहित] हो जाएगी।

(२) जब कभी किसी रेल प्रशासन के लिए इस बात की आवश्यकता किसी नौतार्य नदी की धारा में किसी आकस्मिक तब्दीली के या अन्य अकल्पित आपात के कारण हो जाती है कि वह किसी भूमि का अव्यवहित कब्जा अपना ट्रैफिक बनाए रखने के लिए या उस पर कोई नदी-तीर या घाट स्टेशन बनाने या ऐसे किसी स्टेशन से सुविधापूर्ण कनेक्शन या वहां तक सुविधापूर्ण पहुंच-मार्ग उपबन्धित करने के लिए अर्जित कर ले

तब कलक्टर उपधारा (१) में वर्णित सूचना के प्रकाशन के अव्यवहित पश्चात् और [४][समुचित सरकार] की पूर्व मंजूरी से ऐसी भूमि पर प्रवेश और कब्जा कर सकेगा जो ऐसा होने पर सब विल्लंगमों से मुक्तकृत [२]][३][सरकार] में आत्यन्तिकतः निहित] हो जाएगीः

परन्तु कलक्टर किसी निर्माण या उसके किसी भाग पर ऐसा कब्जा उसके अधिभोगी को इस उपधारा के अधीन कब्जा करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना, या ऐसी दीर्घतर सूचना, जैसी कि ऐसे अधिभोगी को अनावश्यक असुविधा के बिना ऐसे निर्माण से अपनी जंगम सम्पत्ति हटाने के लिए समर्थ बनाने को युक्तियुत रूप से पर्याप्त हो, दिए बिना न करेगा।

१. अब सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, (१९०८ का ५) देखिए।

२. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, १९३७ द्वारा "सरकार में पर्णतः निहित" के स्थान प्रतिस्थापित।

३. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा "क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

४. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(३) दोनों पूर्ववर्ती उपधाराओं में से किसी के अधीन वाली हर दशा में कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों को ऐसी भूमि पर की खड़ी फसलों और वृक्षों के लिए (यदि कोई हों, जो उन्होंने उठाया है, और धारा २४ में अपवादित नहीं हैं, प्रतिकर देने की प्रस्थापना कब्जा करने के समय करेगा; और यदि ऐसी प्रस्थापना प्रतिगृहित नहीं की जाती तो भूमि के लिए प्रतिकर एतद्अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन अधिनिर्णीत करने में ऐसी फसलों और वृक्षों का मूल्य और ऐसे अन्य नुक्सान की रकम भी गणना में ली जाएगी।

[१][(४) किसी ऐसी भूमि की दशा में, जिसे कि [२][समुचित सरकार] की राय में उपधारा (१) या उपधारा (२) के उपबन्ध लागू हैं, २[समुचित सरकार] यह निदेश दे सकेगी कि धारा ५क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय उस भूमि के विषय में धारा ६ के अधीन घोषणा की जा सकेगी।]

भाग ३

न्यायालय को निर्देश और तदुपरि प्रक्रिया

१८. (१) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय प्रतिगृहीत नहीं किया है, चाहे उस व्यक्ति का आक्षेप भूमि के माप के, चाहे प्रतिकर की रकम के, चाहे उन व्यक्तियों के, जिनकों वह संदेय है, चाहे हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में हो, कलक्टर से किए गए लिखित आवेदन द्वारा इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि उस मामले को कलक्टर न्यायालय के अवधारण के लिए निर्देशित कर दे।

(२) आवेदन उन आधारों का कथन करेगा जिन पर कि अधिनिर्णय पर आक्षेप किया गया हैः

परन्तु ऐसा हर आवेदन -

(क) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति, जो ऐसा आवेदन करता है, कलक्टर के सामने उस समय जब कलक्टर ने अधिनिर्णय दिया था उपस्थित था या उसका प्रतिनिधत्व किया गया था, कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर,

(ख) अन्य दशाओं में धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास में से जिस कालावधि का पहले अवसान हो उसके भीतर,

किया जाएगा।

१९. (१) निर्देश करने में कलक्टर न्यायालय की जानकारी के लिए -

(क) उसे भूमि पर के किन्हीं वृक्षों, निर्माणों और खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित भूमि के अवस्थान और विस्तार का;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नामों का, जिनको ऐसी भूमि में हितबद्ध समझने का उसके पास कारण है;

(ग) उस रकम का, जो नुक्सानी के लिए धाराओं ५ और १७ या दोनों में से किसी के अधीन अधिनिर्णीत की गई है और संदत्त या निविदत्त की गई है और प्रतिकर की रकम का, जो धारा ११ के अधीन अधिनिर्णीत की गई है, तथा

(घ) उस दशा मे, जिसमें कि आक्षेप प्रतिकर की रकम के बारे में है; उन आधारों स्वहस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा।

१. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा ६ द्वारा जोड़ा गया।

२. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(२) उक्त कथन के साथ एक अनुसूची संलग्न की जाएगी, जिसमें उन सूचनाओं की, जिनकी तामील हितबद्ध पक्षकारों पर की गई है और उन पक्षकारों द्वारा किए गए या परिदत्त लिखित कथनों की तत्संबद्ध विशिष्टियां दी हुई होंगी।

२०. न्यायालय तदुपरि वह दिन विनिर्दिष्ट करने वाली , जिसको न्यायालय आक्षेप के अवधारण के लिए अग्रसर होगा, और न्यायालय के समक्ष उस दिन को उनकी उपसंजाति के लिए निदेश देने वाली सूचना की तामील निम्नलिखित व्यक्तियों पर , अर्थात्:

(क) आवेदक पर;

(ख) आक्षेप मे हितबद्ध सब व्यक्तियो पर , उनमे से ऐसो के सिवाय (यदी कोई हो) जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय किसी , अभ्यापत्ति के बिना प्राप्त करने के लिए सम्मत हो गए है ;तथा

(ग) उस दशा में , जिसमे कि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के बारे मे है , पर कल्कटर,

कराएगा ।

२१. ऐसी हर कार्यवाही मे जाँच का प्रविषय उन व्यक्तियों के हितों पर विचार करने तक निर्बन्धित रहेगा, जिन पर आक्षेप का प्रभाव पड़ता है ।

२२. ऐसी हर कार्यवाही खुले न्यायालय मे होगी और राज्य मे के किसी सिविल न्यायालय में विधी व्यवसाय करने के लिए हकदार सब व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में (यथास्थिति) उपसंजात होने , अभिवचन करने और कार्य करने के लिए हकदार होंगे ।

२३. (१) उस प्रतिकर की, जो इस अधिनियम के अधिन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किया जाना है, रकम अवधारित करने मे न्यायालय -

प्रथम [१][धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन की अधिसूचना] के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि का बाजार मूल्य;

द्वितीय वह नुक्सान जो हितबद्ध व्यक्ति किन्हीं ऐसी खड़ी फसलों या वृक्षों के ले लिए जाने के कारण उठाया हो जो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, उस समय उस भूमि पर हो;

तृतीय, वह नुक्सान, (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने ऐसी भूमि अपनी दूसरी भूमि से अलग किए जाने के कारण उस समय उठाया हो जब कलक्टर ने उस समय भूमि पर कब्जा किया;

चतुर्थ, वह नुक्सान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने उस समय जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, इस कारण उठाया हो कि उस अर्जन से उसकी अन्य स्थावर या जंगम सम्पत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर क्षतिकर प्रभाव पड़ा है;

पंचम्, उस दशा में, जिसमें कि हितबद्ध व्यक्ति कलक्टर द्वारा उस भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास या कारबार का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, ऐसी तब्दीली से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो), तथा

षष्ठम्, वह नुक्सान (यदि कोई हो), जो धारा ६ के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा उस भूमि पर कब्जा किए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में घटती होने के परिणामस्वरूप सद्भाव रहते हुए भी हुआ हो;

(२) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित किया गया है, हर मामले में न्यायालय ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति का होने के प्रतिफलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।

१. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा ७ द्वारा "धारा ६ के अधीन उससे संबंधित घोषणा' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

२४. किन्तु न्यायालय निम्नलिखित को विचार में न लेगा -

प्रथम, आत्ययिकता की वह मात्रा जिसके कारण अर्जन किया गया है;

द्वितीय, अर्जित भूमि विलग करने के बारे में हितबद्ध व्यक्ति की कोई अनिच्छा;

तृतीय, उस द्वारा उठाया गया ऐसा कोई नुक्सान, जो यदि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कारित होता तो उसके

लिए ऐसे व्यक्ति पर वाद न चल सकता;

चतुर्थ, वह कोई नुक्सान, जो अर्जित भूमि को उस उपयोग के द्वारा या परिणामस्वरूप धारा ६ के अधीन की घोषणा के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् होना सम्भाव्य है,

जिसमें वह लाई जाएगी;

पंचम्, अर्जित भूमि के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणामस्वरूप होनी सम्भाव्य है, जिसमें वह भूमि अर्जित हो जाने पर लाई जाएगी;

षष्ठम, हितबद्ध व्यक्ति की किसी दूसरी भूमि के मूल्य में वह कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणास्वरूप प्रोद्भूत होनी सम्भाव्य है, जिसमें अर्जित भूमि लाई जाएगी; अथवा

सप्तम्, अर्जित भूमि पर वह कोई लागत या अभिवृद्धि, या उसका कोई व्ययन जो कलक्टर की मंजूरी के बिना उस तारीख के पश्चात् जो [१][धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन की अधिसूचना] के प्रकाशन की है, प्रारम्भ किया गया, किया गया या क्रियान्वित किया गया है।

२५. (१) जबकि आवेदक ने प्रतिकर का कोई दावा धारा ९ के अधीन दी गई किसी सूचना के अनुसरण में किया है, तब न्यायालय द्वारा उसको अधिनिर्णीत रकम इस प्रकार दावा की गई रकम से अधिक नहीं होगी और न कलक्टर द्वारा धारा ११ के अधीन अधिनिर्णीत रकम के का होगी।

(२) जबकि आवेदक ने ऐसा दावा करने के इंकार कर दिया है या दावा करने का लोप ऐसे पर्याप्त कारण के बिना (जो न्यायाधीश द्वारा अनुग्यात किया जाएगा) किया है तब न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत रकम कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम के किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी।

(३) जबकि आवेदक ने ऐसा दावा करने का लोप ऐसे पर्याप्त कारण से (जो न्यायाधीश द्वारा अनुग्यात किया जाएगा) किया है तब न्यायालय द्वारा उसको अधिनिर्णीत की जाने वाली रकम कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से कम नहीं होगी किन्तु अधिक हो सकेगी।

२६. [२][(१)] इस भाग के अधीन वाला हर अधिनिर्णय लिखित रूप में और न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें धारा २३ की उपधारा (१) के प्रथम खंड के अधीन अधिनिर्णीत रकम और उसी उपधारा के अन्य खंडों में से क्रमशः हर एक के अधीन अधिनिर्णीत रकमें भी (यदि कोई हों) उक्त रकमों में से हर एक के अधिनिर्णीत किए जाने के आधारों सहित विनिर्दिष्ट होंगी।

[२][(२)] ऐसा हर अधिनिर्णय एक डिक्री और ऐसे अधिनिर्णीत किए जाने के आधारों का कथन एक निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की क्रमशः धारा २ के खंड (२) और धारा २ के खंड (९) के अर्थ में समझा जाएगा।

२७. (१) ऐसे हर अधिनिर्णय में इस भाग के अधीन वाली कार्यवाहियों में उपगत खर्चों की रकम और यह बात भी कि वे जिन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में दिए जाने हैं कथित होगी।

१. १९२३ के अधिनियम सं० ३८ की धारा ८ द्वारा "धारा ६ के अधीन घोषणा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

२. १९२१ के अधिनियम सं० १९ की धारा २ द्वारा धारा २६ को धारा २६ (१) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया और उपधारा (२) जोड़ी गई।

(२) जबकि कलक्टर का अधिनिर्णय ठीक नहीं ठहराया जाता तब जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि आवेदक का दावा इतना अतिमय था या कलक्टर के सामने अपना मामला रखने में उसने इतनी उपेक्षा से काम किया कि उसके खर्चे में से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चे का कोई भाग देना चाहिए, कलक्टर द्वारा मामूली तौर से खर्चे दिए जाएंगे।

२८. यदि वह राशि, जिसकी बाबत न्यायालय की राय है कि कलक्टर द्वारा वह प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, अधिक है तो न्यायालय के अधिनिर्णय में यह निदेश हो सकेगा कि कलक्टर ऐसे आधिक्य पर उस तारीख़ से, उसने भूमि का कब्जा लिया, ऐसा आधिक्य न्यायालय में जमा किए जाने की तारीख तक छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे।

भाग ४
प्रतिकर का प्रभाजन

२९. जहां कि कई हितबद्ध व्यक्ति है, वहां यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर के प्रभाजन के संबंध में सहमत हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियां अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और जहां तक कि ऐसे व्यक्तियों का परस्पर संबंध है वहां वह अधिनिर्णय उस प्रभाजन के ठीक होने का निश्चायक साक्ष्य होगा।

३०. जबकि प्रतिकर की रकम धारा ११ के अधीन स्थिर की जा चुकी है तब यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में या उन व्यक्तियों के संबंध में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उद्भूत होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद को न्यायलय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा।

भाग ५
संदाय

३१. (१) धारा ११ के अधीन कोई अधिनिर्णय देने पर कलक्टर अपने द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के लिए हक़दार हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रतिकर का संदाय अधिनिर्णय के अनुसार निविदत्त करेगा और जब तक कि अव्यवहित आगामी उपधारा में वर्णित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा ऐसा करे से वह निवारित न हुआ हो उनको वह प्रतिकर देगा।

(२) यदि वे उसे लेने के लिए सम्मत नहीं हैं या यदि भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर लेने के हक के संबंध में या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम उस न्यायालय में निक्षिप्त कर देगा जिसको धारा १८ के अधीन वाला निर्देश निवेदित किया जाएगाः

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह हितबद्ध है, रकम की पर्याप्ता संबंधी अभ्यापत्ति के अधीन ऐसा संदाय ले सकेगाः

परन्तु यह और भी कि जो कोई व्यक्ति वह रकम अभ्यापत्ति के अधीन लेने से अन्यथा ले चुका है वह धारा १८ के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगाः

परन्तु यह और भी कि एतद्अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसने इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत कोई पूरा प्रतिकर या उसका कोई भाग प्राप्त कर लिया हो, उस दायित्व पर प्रभाव न डालेगी जो उसे उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को देने का है।

भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४

(३) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर किसी भूमि लेखे धन-प्रतिकर अधि-निर्णीत करने के बजाय ऐसे व्यक्ति से, जिसका भूमि में परिसीमित हित है, या तो विनिमय में अन्य भूमियों के अनुदान द्वारा, या उसी हक के अधीन धृत अनय भूमियों पर भूराजस्व के परिहार द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी सम्पृक्त पक्षकारों के हितों का ध्यान रखकर साम्यापूर्ण हो, कोई ठहराव [1][समुचित सरकार] की मंजूरी से कर सकेगा

(४) अंतिम पूर्वगामी उपधारा की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि वह भूमि में हितबद्ध और उसके संबंध में संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति के साथ कोई ठहराव करने की कलक्टर की शक्ति में कोई हस्तक्षेप करती है या उसे परिसीमित करती है।

३२. (१) यदि कोई धन अंतिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (२) के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त किया जाए और यह प्रतीत हो कि जिस भूमि लेखे वह अधिनिर्णीत किया गया था वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जो उसका अन्य-संक्रमण करने की शक्ति नहीं रखता था तो न्यायालय -

(क) वैसे ही हक के अधीन और स्वामित्व की वैसी ही शर्तों पर, जैसे के अधीन और जिन पर वह भूमि धृत थी जिस लेखे ऐसा धन निक्षिप्त किया गया है, धृत की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ख) उस दिशा में, जिसमें कि ऐसा क्रय तत्क्षण न किया जा सकता हो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जैसी न्यायालय ठीक समक्षे,

उस धन के विनिहित किए जाने का आदेश देगा और यह निदेश कि ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का संदाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो उक्त भूमि पर कब्जा करने के हकदार तत्समय हों, किया जाए और ऐसे धन इस प्रकार तब तक निक्षिप्त और विनिहित रहेंगे जब तक वे ः

(i) पूर्वोक्त जैसी अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ii) उसके आत्यन्तिकतः हकदार हो जाने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में, उपयोजित न कर दिए जाएं।

(2) निक्षिप्त धनों के उन मामलों में, जिन्हें या धारा लागू है, न्यायालय निम्नलिखित बातों के खर्चे, अर्थात्:-

(क) पूर्वोक्त जैसे विनिधानों के खर्चे,

(ख) जिन प्रतिभूतियों में ऐसे धन तत्समय विनिहित हैं, उनके ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के और ऐसे धनों के मूल का संदाय न्यायालय के बाहर करने के आदेशों के और जो कार्यवाहियों प्रतिकूल दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के कारण हुई हों उनको छोड़कर उनसे संबद्ध सारी कार्यवाहियों के खर्चे,
तदानुषंगिक सब युक्तियुक्त प्रभारों और व्ययों के सहित कलक्टर द्वारा दिए जाने का आदेश देगा।

३३. जबकि अंतिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित से भिन्न किसी हेतुक के लिए धन इस अधिनियम के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त कर दिया गया है तब न्यायालय ऐसे धन में हितबद्ध या उसमें किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसे ऐसी सरकारी या अन्य निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी विनिधान के ब्याज या अन्य आगम संचित किए जाएं और ऐसी रीति से दिए जाएं जैसी की बाबत वह न्यायालय यह समझता हो कि उसमें हितबद्ध पक्षकारों को उससे वही या यथाशक्य लगभग उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना कि उनका उस भूमि से हुआ होता जिस लेखे ऐसा धन निक्षिप्त किया गया था।

१. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

३४. जबकि ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या के पूर्व न तो दी जाती है और न निक्षिप्त की जाती है तब कलक्टर अधिनिर्णीत रकम ऐसे कब्जा लेने के समय से लेकर उतनी कालावधि तक के, जब तक वह ऐसे संदत्त या निक्षिप्त नहीं की जाती, छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित देगा।

भाग

भूमि का अस्थायी अधिभोग

३५. (१) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी कब्जा लेना और उपयोग करना किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए आवश्यक है तब १[समुचित सरकार] कलक्टर को इस अधिनियम के भाग ७ के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यह निदेश दे सकेगी कि कलक्टर उस उसका अधिभोग और उपयोग ऐसे अधिभोग के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक न होने वाली इतनी अवधि के लिए उपाप्त कर ले जितनी वह सरकार ठीक समझे।

(२) तदुपरि कलक्टर ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रयोजन की एक लिखित सूचना देगा जिस प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता है और पूर्वोक्त जैसी अवधि तक उस पर अधिभोग रखने और उसका उपयोग करने के लिए और उसमें से ली जाने वाली सामग्रियों (यदि कोई हों) लेखे उन व्यक्तियों को या तो कुल धनराशि में या मासिक या अन्य कालिक संदायों द्वारा इतना प्रतिकर संदत्त करेगा जितना कलक्टर और क्रमशः ऐसे व्यक्तियों में लिखित रूप में करार पाए।

(३) प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में होने की दशा में ऐसे मतभेद को कलक्टर न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

३६ (१) कलक्टर ऐसे प्रतिकर के संदत्त किए जाने पर या ऐसे करार के निष्पादन पर या धारा ३५ के अधीन निर्देश करने पर उस भूमि पर प्रवेश और कब्जा कर सकेगा और उसका उपयोग उक्त सूचना के निबन्धनों के अनुसार कर सकेगा या करने की अनुग्या दे सकेगा।

(२) उस अवधि के अवसान पर कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों के उस नुक्सान के लिए (यदि कोई हो), जो उस भूमि को पहुंचा हो और जिसके लिए उपबन्ध उस करार द्वारा नहीं हुआ हो, प्रतिकर संदत्त या निविदत्त करेगा और वह भूमि उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर देगाः

परन्तु यदि वह भूमि उस उपयोग में लाई जाने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गई है जिसके लिए ऐसी अवधि के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व वह लाई जाती थी और यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो [१] [समुचित सरकार] उस भूमि को अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसे अग्रसर होगी मानो उसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए स्थायी रूप से आवश्यकता हो।

३७. उस दशा मे, जिसमें कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में उस भूमि की उस दशा के संबंध मे, जो उस अवधि के अवसान पर उसकी है या उक्त करार से संबंद्ध किसी बात के संबंध में मतभेद है, कलक्टर ऐसे मतभेद को न्यायलय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

१. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा "प्रान्तीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।